

कार्यालय तहसीलदार (अ० ३३०) विराटनगर, जयपुर

क्रमांक: अ० ३३०/२०२२/५५३

दिनांक: 15/03/2022

श्रीमान् उपवनु अधिकारी महोदय
विराटनगर (जयपुर)

विषय: पुनः निर्माण कार्य विराटनगर N.H 248 ए से चिलपली
मोड़ सड़क में आने वाली वन-शक्ति 4.3140 हे
के बटवले गैर वन शक्ति क्षेत्रफल 4.3140 हे
वन-विभाग को आवंटन करने का

प्रसंग: श्रीमान् के फांक 639 दिनांक 14/3/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुनः निर्माण कार्य विराटनगर N.H. 248 ए से चिलपली मोड़ सड़क निर्माण कार्य में आने वाली वन-शक्ति के बटवले क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम कुदारा के रकबा 128 रकबा 0.46, 129 रकबा 0.33, 130 रकबा 0.16, 131 रकबा 2.30, 132 रकबा 0.23, 133 रकबा 0.8340 कुल रकबा 4.3140 हे का पुस्तक तैयार कर सादर प्रेषित है।

सलमन! -

① शास्ता - 2 कार्य
- चैकलिस्ट, मेमोरिण्ड पत्रिका
- जाफाबन्दी, मम्बरा, गिरदारी


तहसीलदार
तहसील विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड विराटनगर (जयपुर)

क्रमांक 268

दिनांक 14/3/22

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड कार्यालय विराटनगर

पुनः निर्माण कार्य विराटनगर एन.एच.248ए से चिलपली मोड सड़क में आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 4.3140 है० के बदले गैर वनभूमि का प्रस्ताव तैयार कर पुनः भिजवाने बाबत।

प्रसंग :-

श्रीमान का पत्रांक पीए/2021/2051 दिनांक 02.11.21 एवं श्रीमान उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर के पत्रांक 2132-33 दिनांक 24.02.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा पुनः निर्माण कार्य विराटनगर एन.एच.248ए से चिलपली मोड सड़क में आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 4.3140 है० के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 4.3140 है० वन विभाग को आवंटन करवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर मय राजस्व रिकार्ड श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा जयपुर को भिजवाया गया था।

उपरोक्त गैर वनभूमि का श्रीमान उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 07.02.2022 को किया गया जिसमें मौके पर पूर्व में बनी रोड के एक तरफ वनभूमि से लगते हुए उक्त गैर वनभूमि दी जानी प्रस्तावित थी जिसके क्रम में निरीक्षण करने पर हल्का पटवारी द्वारा जारी किये गये नक्शे व डिजीटल नक्शे में अन्तर है। साथ ही गूगलअर्थ पर देखने पर पाया गया कि उक्त गैर वनभूमि के बीच में से रोड निकल रही है व कुछ जगह खेती की जा रही है।

अतः उक्त प्रकरण में श्रीमान से निवेदन है कि दी जाने वाली गैर वन भूमि क्षेत्रफल 4.3140 है० का प्रस्ताव पुनः तैयार कर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा जयपुर को भिजवाने की कृपा करें। जिससे की आवंटन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

श्रीमान का पत्रांक पीए/2021/2051 दिनांक 02.11.21
क्रमांक 268

प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील विराटनगर (जयपुर)
2. श्रीमान उपवन संरक्षक, जयपुर उत्तर।
3. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली।

(अनिल कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)

सहायक कोष अधिकारी, कोटवाड़ा रोड, पानी पेय, जयपुर-302016 e-mail: dc[at]jalpurnorth[at]gmail.com Ph: 0141-2308155

दिनांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2021-22/

सहायक अभियन्ता,
सा0 नि0 वि0 उपखण्ड,
विराटनगर-1 जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of widening and strengthening road from viratnagar (NH-148) to Chilpali Mod (NH-148) Via Teori, Sewra Palri, Palri Tiraha, Ghota, Sawarni ki Ghata Badshahpura, Gudha Baijanathpura, Todalarl, Tehsil- Viratnagar, Dist- Jaipur (Raj.) Proposal No. FP/RJ/ROAD/140508/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पे. 1 दिनांक 15.02.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में वर्णित/संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आप द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी विराटनगर के साथ प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन गैर वन भूमि खसरा नक्शा नगर ग्राम काकराना बड़ा तहसील विराटनगर जिला जयपुर का संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 7.02.2022 को किया गया है। जिसमें मौके पर पूर्व में बनी रोड के एक तरफ वन भूमि से लगते हुये उक्त गैर वन भूमि दी जाती प्रस्तावित थी जिसके क्रम में आपने उक्त प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली विचाराधीन गैर वन भूमि का राजस्व नक्सा जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कोऑर्डिनेट्स इत्यादि दस्तावेज पत्र के संलग्न कर इस कार्यालय में जमा कराये गये हैं। जिनका निरीक्षण करने पर हल्का पट्टा द्वारा जारी किये गये नक्शों व डिजिटल नक्शों में अन्तर है। साथ ही के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कोऑर्डिनेट्स गुगल अर्थ पर देखने पर उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाईल के बीच में से रोड निकल रही है कुछ जगह खेती की जा रही है। जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। ताकि आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ जमा कराये गये मूल 4 सेट।

(सुदीप कौर) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2021-22/ 2132-33

दिनांक 24/2/22

तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 ग्रामीण वृत्त-जयपुर।
2. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड-कोटपूतली (जयपुर)।

3701 02/03/22
[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

राजकीय विभागों को भूमि आवंटन की निर्धारित चेकलिस्ट

क्र.सं.	आवंटन के लिए विवरण	प्रदात जमाव का विवरण
1	राजकीय विद्यालय/विभाग/ संस्था इत्यादि का नाम	वन विभाग
2	भूमि आवंटन या प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)	-
3	क्या इसी प्रयोजन के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है? यदि हाँ तो उसका विवरण अंकित करें।	नहीं
4	क्या संस्था राज्य सरकार से स्वीकृत है अथवा नहीं?	वन विभाग
5	वर्तमान में संस्था कहीं व किस स्थान/ग्राम में कितनी भूमि पर संचालित है?	-
6	भूमि आवंटन के संबंध में राजकीय विभाग/विद्यालय का गांग पत्र प्रस्ताव में शामिल है अथवा नहीं?	हाँ
7	संस्था/विभाग के पास वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है? क्या उक्त भूमि संस्था को आवंटित है?	वन विभाग (कुटाई में 430.05 है।)
8	क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है?	-
9	प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है?	AEN, PWD VTR द्वारा पुनः निर्माण कार्य NH 248 A में निम्नलिखित कोड के तहत से आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 4.3140 है। वैसे वन विभाग को आवंटन देते
10	प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में 1983 के नियम-2 के अंतर्गत भूमि आवंटन के निर्धारित मानदण्ड क्या है?	सड़क निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 4.3140 है। वैसे वन विभाग को आवंटन देते
11	विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित/निश्चित किए गए हैं तो उसका विवरण	-
12	मानदण्डों से अधिक भूमि चाहिए जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य	-
13	प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का निरापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक सहित) प्रस्ताव में संलग्न है अथवा नहीं?	-
14	प्रस्तावित भूमि पर यदि निर्माण हो चुका है तो निर्माण कितने क्षेत्रफल में है?	नहीं
15	आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का विवरण	कुटाई
	(1) ग्राम का नाम	विराटनगर कुटाई
	(2) ग्राम पंचायत का नाम	विराटनगर कुटाई
	(3) तहसील का नाम	विराटनगर कुटाई
	(4) खसरा नम्बर	128, 129, 130, 131, 132, 133
	(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल	0.46, 0.33, 0.16, 2.30, 0.23, 1.11 = 4.59 है।
	(6) भूमि की किरम	50 रु = 50 रु
	(7) प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.46, 0.33, 0.16, 2.30, 0.23, 0.8340 = 4.3140 है।
	(8) जमानदी व खसरा नक्शों की प्रति संलग्न है अथवा नहीं?	संलग्न
	(9) प्रस्तावित भूमि खसरा नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित की हुई है अथवा नहीं?	प्रदर्शित
	(10) प्रस्तावित भूमि में पहुँच मार्ग हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि रास्ता उपलब्ध है तो मय रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित किया गया है अथवा नहीं?	नहीं
	(11) प्रस्तावित खसरा नम्बर में पूर्व में आवंटित भूमियों की तरफीय की जा चुकी है अथवा नहीं? तरफीय से शेष है तो कारण स्पष्ट करें।	हाँ
	(12) प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आवादी से कितनी दूरी पर स्थित है।	2 K.m.

पटवार
पटवार मॉडल
तहसील विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार
तहसील विराटनगर (जयपुर)

	(13) प्रस्तावित भूमि यदि विद्यालय के खेल मैदान के लिए विनियम की दूरी से तो राजकीय विद्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है।	
	(14) प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं ?	
16	यदि प्रस्तावित भूमि घरागाह है तो ...	वन विभाग के लिए उपयुक्त
	(1) प्रांग की पर्याप्त संख्या कितनी है ?	- नहीं
	(2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् प्रांग उपलब्ध घरागाह भूमि।	लागू नहीं
	(3) पर्याप्त के अनुपात में क्या घरागाह भूमि पर्याप्त है अथवा नहीं ?	लागू नहीं
	(4) यदि नहीं, तो घरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था।	लागू नहीं
	(5) घरागाह भूमि आवंटन के संबंध में माओ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा घरागाह भूमि आवंटन / आरक्षण पर रोक लगाई हुई है। यदि प्रस्तावित भूमि घरागाह है तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायचक भूमि के प्रस्ताव उक्त आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न है अथवा नहीं ?	- लागू नहीं
	(6) घरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी की और से बाद जाँच प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।	- लागू नहीं
17	प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न है अथवा नहीं ?	मौका रिपोर्ट संलग्न
	(1) प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति	नहीं
	(2) प्रस्तावित भूमि के संबंध में माओ न्यायालय में विचारधीन वाद / स्थगन एवं अन्य विवाद की स्थिति।	राजस्व विभागाध्यक्ष (जयपुर) अज्ञात नहीं
	(3) प्रस्तावित भूमि नदी / नाला / जलग्रहण क्षेत्र के कैचमेन्ट एरिया / बहाव में स्थित है अथवा नहीं ?	नहीं
	(4) क्या प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बंनार सरकार के निर्णय से प्रभावित है अथवा नहीं ?	नहीं
	4-ए प्रस्तावित भूमि माफी मन्दिर में तो नहीं है।	नहीं
	(5) प्रस्तावित भूमि नगर निगम / नगरपालिका की सीमा / परिधीय सीमा / मास्टर प्लान में, तो नहीं है ?	नहीं
	(6) प्रस्तावित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है ?	- 125 Km.
	(7) प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा शस्त्रा, शमसान, कब्रिस्तान आदि के उपयोग में तो नहीं आ रही है ?	नहीं
	(8) क्या प्रस्तावित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित / अवाप्ताधीन है अथवा नहीं ?	नहीं
	(9) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं ?	नहीं
	(10) प्रस्तावित भूमि रेलवे लाइन / राष्ट्रीय राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड / ग्रामीण सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है ?	वन विभाग भूमि के लिए कल्पना की गयी है।
	(11) विद्युत कम्पनियों / निगमों की भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है तो प्रस्तावित भूमि की प्रचलित लीडोएल0सी0 दर क्या है ?	लागू नहीं
	(12) प्रस्तावित भूमि पर यदि हरे वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षों की संख्या / वृक्षों की अनुमानित आयु / वृक्षों की किस्म का उल्लेख किया जावे।	जंगली झाड़ों में वृक्ष हैं। खड़ी हैं!
	(13) उपखण्ड अधिकारी की स्पष्ट अगिराषा।	वन विभाग की भूमि के बदले।

वन विभाग को 4.31.40 है. भूमि का बंटवारा करना उपयुक्त होगा।

पटवारी (जयपुर)
 महसूल विभागाध्यक्ष (जयपुर)

पहिलदार
 महसूल विभागाध्यक्ष (जयपुर)

फर्द मौका रिपोर्ट

आजादिनां 15-03-22को श्रीमान लक्ष्मीलाल महराज के कादेश की पालना में ग्राम कुहाडा के आ. रव. न. 128, 129, 130, 131, 132, 133 का मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी का अवलोकन किया गया, राजस्व जमाबन्दी के अनुसार ग्राम कुहाडा के

आ. रव. न. $\frac{128}{0.46}$, $\frac{129}{0.33}$, $\frac{130}{0.16}$, $\frac{131}{2.30}$, $\frac{132}{0.23}$, $\frac{133}{1.11}$ किला

6 रकबा 4.59 है. वि. सं. 50 मु. पहाड सीवाय चक (राज. सरकार) जिम्मेन न. 1 में दर्ज रिकॉर्ड है।

मौका रिश्तली के अनुसार मौके पर

उक्त रव. न. 128, 129, 130, 131, 132, 133 किला

6 रकबा 4.59 है. की अभी मौके पर किकर, गंगली झारिया वगैरह रबडी है यह अभी उक्त रबाबड पतरीली जुमा वीड के रूप में पड़त लडी हुई है।

वन विभाग की अभी की क्षति क्षति के लिए उपयुक्त है.

अतः ग्राम कुहाडा के आ. रव. न. $\frac{128}{0.46}$, $\frac{129}{0.33}$, $\frac{130}{0.16}$, $\frac{131}{2.30}$, $\frac{132}{0.23}$ तथा

रव. न. $\frac{133}{1.11}$ में से 0.8340 कुल किला 6 रकबा 4.2140 है. अभी क्षति

हेतु उपयुक्त है फर्द मौका श्रेणी वन अधिकारी विराटगर,

पटवारी हनुका कुहाडा, वनपाल कुहाडा वगैरह की भी जूदगी में

तैयार कर मौका रिपोर्ट तैयार कर अंतिम कार्रवाई वाले फेरे

(मनोज कुमार)
LAKHANSHARMA
8.44.

पटवारी
पटवार मण्डल कुहाडा
तहसील विराटगर (जयपुर)


नकल नकशा देख

ग्राम- कुहाडा

तहसील- बिराट नगर

जिला- जनकपुर (राज०)

३



प्रस्तावित क्षेत्र

Anil Kumar
(अनिल कुमार शीना)

सहायक सचिव
सा.नि.वि. उपखण्ड बिराटनगर जयपुर

Anil Kumar
तहसीलदार

तहसील बिराटनगर (जयपुर)

18	फारम का नाम	पटवारा
19	फारम का नंबर	पटवारा मण्डल कुहाडा
20	असि तहसील	बिराटनगर (जयपुर)
21	फारम का नाम	
22	स्थिति	
23	असि स्थिति	
24	स्थिति	

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 4

गाँव :- कुहाडा
तहसील :- कुहाडा
भू.अभि.निकेत्र :- विराटनगर
तहसील :- विराटनगर
जिला :- जयपुर
कायतकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत्त :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार 2
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई संदत्त लगान के साधन	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
128	0.4600	गै.मु.पहाड	0.4600			
129	0.3300	गै.मु.पहाड	0.3300			
नला						
130	0.1600	गै.मु.पहाड	0.1600			
घाटीतला						
131	2.3000	गै.मु.पहाड	2.3000			
132	0.2300	गै.मु.पहाड	0.2300			
नला						
133	1.1100	गै.मु.पहाड	1.1100			
134	0.3000	गै.मु.पहाड	0.3000			
135	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600			
नला						
136	0.2100	गै.मु.पहाड	0.2100			
घाटी						
151	0.0300	गै.मु.पहाड	0.0300			
172	0.1500	गै.मु.पहाड	0.1500			
173	0.0500	गै.मु.पहाड	0.0500			
175	0.3900	गै.मु.पहाड	0.3900			
176	0.6000	गै.मु.पहाड	0.6000			
पहाड						
178	0.4000	गै.मु.पहाड	0.4000			
179	0.2000	गै.मु.पहाड	0.2000			
180	0.4300	गै.मु.पहाड	0.4300			
पहाड						
200	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600			
201	0.3000	गै.मु.पहाड	0.3000			
202	0.0400	गै.मु.पहाड	0.0400			
226	0.5300	गै.मु.पहाड	0.5300			
नला						

मूएस.एन - 92681964110

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता -

RAMVATAR.MEENA@RAJASTHAN.GOV.IN

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 07/Aug/2019 10:38:00 AM

<http://apnakhata.raj.nic.in/qc.aspx?usn=9268196411014>

पद - तहसीलदार,



NIC

विद्यार्थी नाम के निम्न

पत्र सं. 13-N

श्रीवर्ष विषय 6

कक्षा: विद्यार्थी (उत्कृष्ट) रोल नं. 51483 रासना, भा. 20 से 20 तक

कक्षा के अग्रतम विद्यार्थी

सन् 2017 की विद्या के अग्रतम विद्यार्थी

1	2	3	4	5	6	7	कक्षा के अग्रतम विद्यार्थी				श्रीवर्ष के अग्रतम विद्यार्थी				16	17	
							नाम का नाम	विषय	अतिविधि	कठम का नाम	विषय	अतिविधि	विषय	अतिविधि			
128	0.46	श्री. सुधा	1														
129	0.33	श्री. सुधा	1														
130	0.16	श्री. सुधा	1														
131	2.30	श्री. सुधा	1														
132	0.23	श्री. सुधा	1														
133	1.11	श्री. सुधा	1														

श्री. सुधा
0.23 से 0.46 तक
(श्री. सुधा का नाम)

श्री. सुधा
कक्षा के अग्रतम विद्यार्थी
श्रीवर्ष के अग्रतम विद्यार्थी

130-2012-1000,00